संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल
फोन :- 0755-2578491, फेक्स- 2570122
E- namami.devi@gov.in

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2022-23/5597 भोपाल, दिनांक 12/08/2022

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला- शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ, पन्ना एवं निवाडी।

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत सिंघाडा की खेती परियोजना क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश एवं भौतिक वित्तीय लक्ष्य आवंटन बावत।

---0---

विषयांतर्गत राष्ट्रीय कृषि योजना-रफ्तार वर्ष 2021-22 अंतर्गत स्वीकृत योजना "सिंघाडा की खेती" के क्रियान्वयन हेतु सामान्य मद में भौतिक वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये जा रहे है। इसमें अजजा व अजा वर्ग के हितग्राही भी आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना का क्रियान्वयन निम्न दिशा-निर्देशों के तहत किया जावे।

1. कृषक को आधार नंबर सहित विभागीय पोर्टल MPFSTS पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. योजनांतर्गत सभी वर्ग के अधिक से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जावे।
3. सिंघाडा की खेती अंतर्गत सिकमी (भूमिहीन कृषक) के पंजीकरण हेतु सिकमी कृषक का नाम अंकित किया जावेगा एवं भूमि स्वामी की भूमि संबंधी जानकारी भरी जावेगी।
4. कृषकों का समूह में पंजीयन मान्य नहीं होगा।
5. सिकमी कृषकों को योजना का लाभ दिये जाने के पूर्व, कृषकों द्वारा भूमि स्वामी से किया गया अनुबंध पत्र/शपथ पत्र की प्रति प्राप्त की जावे।
6. चयनित कृषकों से योजना अनुसार समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् आशय पत्र जारी किया जाए।
7. कृषक को 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंघाडा की खेती हेतु इकाई लागत राशि रूपये 85,000/- का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 21,250/- अनुदान देय होगा।
8. अनुदान का लाभ न्यूनतम 0.125 हेक्टेयर एवं अधिकतम 1.00 हेक्टेयर तक दिया जाएगा।
9. योजनांतर्गत फील्ड तैयारी, पौध सामग्री, खाद व उर्वरक, पौध संरक्षण औषधी, फसल कटाई एवं बाजार व्यवस्था इत्यादि किसान अपनी स्वेच्छा अनुसार स्वयं करने हेतु स्वतंत्र होगा।
10. अनुदान प्राप्त करने हेतु क्रय की गई सामग्री के बिल जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
11. संभागीय उद्यानिकी अधिकारी अपने अधीनस्थ जिलों में समय समय पर योजना की समीक्षा/भ्रमण कर योजना के क्रियान्वयन को गति प्रदान करेंगे।

(शासन द्वारा अनुमोदित)

12. कृषक द्वारा सिंघाडा की फसल लगाने के पश्चात विभागीय अधिकारियों की 03 सदस्यीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा। समिति अध्यक्ष उप/सहायक संचालक उद्यान, संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति के अनुसंशा के आधार पर फसल की जियो टैगिंग के पश्चात संबंधित हितग्राही के बैंक खाता में डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। सिंघाडा फसल की **जियो-टैगिंग** में हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
13. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 03 माह के अंदर (फसल की स्थिति के अनुसार) क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./वरि.उ.वि.अधि. क्षेत्र का भ्रमण कर फसल की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करेंगे।
14. जिला अधिकारी इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेन्डम आधार पर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठायेंगे।
15. योजनांतर्गत 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंघाडा की खेती हेतु आदान सामग्री का विवरण:-

Water Chestnut Cost Of Cultivation	
Operation	**Cost of cultivation Rs./ ha.**
Field Operation	6000.00
Planting Material	60000.00
Manure & Fertilizer	5000.00
Plant Protection	5000.00
Harvesting	6000.00
Marketing	3000.00
Total	**85000.00**

विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार प्रतिशत में भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाएगा।

ग्रा.उ.वि.अधिकारी/वरि.उ.वि.अधिकारी	-	100 प्रतिशत
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान	-	25 प्रतिशत
संभागीय संयुक्त संचालक उद्यान	-	05 प्रतिशत

संलग्न:- भौतिक वित्तीय लक्ष्य।

(शासन द्वारा अनुमोदित)

(निधि निवेदिता)
संचालक

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2022-23/ 5598 भोपाल, दिनांक 12/08/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सचिव, माननीय मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश एवं भौतिक-वित्तीय लक्ष्य पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कलेक्टर, जिला- शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ, पन्ना एवं निवाडी।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ, पन्ना एवं निवाडी।
6. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- रीवा, जबलपुर एवं सागर।

सहायक संचालक उद्यान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत सिंघाड़ा की खेती हेतु भौतिक वित्तीय लक्ष्य

क्र.	जिला	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
1	शहडोल	22.30	4.74
2	उमरिया	20.00	4.25
3	अनूपपुर	20.00	4.25
4	जबलपुर	20.00	4.25
5	कटनी	20.00	4.25
6	बालाघाट	20.00	4.25
7	रीवा	20.00	4.25
8	सतना	20.00	4.25
9	सीधी	20.00	4.25
10	टीकमगढ	20.00	4.25
11	पन्ना	20.00	4.25
12	निवाडी	13.00	2.76
योग		**235.30**	**50.00**

(शासन द्वारा अनुमोदित)

Singh

संचालक
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
मध्यप्रदेश भोपाल